कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग

आदेश

क्रमांक/2025/06 दिनांकः– 30/6/25

माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, डीग के पत्रांक/स्था0/2025/109 दिनांक 19.06.2025 से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात् मैं अनिता चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग बीएनएनएस की धारा 12(1) व 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र 8/ पीआई /2016 दिनांक 17.06.2016 परिपत्र 5/ पीआई /2017 दिनांक 18.03.2017 एवं परिपत्र 01/ पीआई /2022 दिनांक 03.01.2022 में दिये निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए डीग न्यायक्षेत्र में स्थित पुलिस थानों में उदभूत् आपराधिक प्रकरणों के संबंध में नीचे अंकित तालिका में अंकित न्यायालायों हेतु पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार दिये जाने बावत् निम्न अनुसार आदेश देती हूं :–

डीग मुख्यालय

क्र.स.	न्यायालय	क्षेत्राधिकार दिए जाने वाले पुलिस थाने का नाम (कॉलम संख्या 2 में अंकित अधिकारी द्वारा सुनवाई की जावेगी।
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग (नवसृजित)	1 पुलिस थाना कोतवाली डीग, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा. द.सं./बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक (M.V. Act को छोडकर) तथा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण 2 आबकारी वृत्त डीग में उदभूत राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गठित आपराधिक प्रकरण 3.पुलिस थाना कोतवाली डीग सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 4 पुलिस थाना खोह में उत्पन्न होने वाले 420 (318(4) बीएनएस), 467(338 बीएनएस), 468(336(3)बीएनएस), 471(340(2)बीएनएस) के मामले आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 5 पुलिस थाना साईबर डीग के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
2.	एसीजेएम डीग	1. पुलिस थाना सदर डीग, में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं./बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक (M.V. Act को छोडकर) एवं 138 एनआई एक्ट के प्रकरण 2. आबकारी थाना डीग में उदभूत राज. आबकारी अधिनियम के प्रकरण 3. पुलिस थाना सदर डीग सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 4 पुलिस थाना जनूथर में उत्पन्न होने वाले 420 (318(4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336(3) बीएनएस), 471 (340(2) बीएनएस) के मामले आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 5.महिला थाना डीग में उत्पन्न होने वाले **(क)** आईपीसी /बीएनएस 2023 की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226, 296 अपराध के प्रकरण **(ख)** अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1961 के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रकरण **(ग)** दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रकरण

Scanned by CamScanner

3.	जेएम–डीग	1. पुलिस थाना खोह व जनूथर, में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं. /बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण एवं 138 एनआई एक्ट के प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के प्रकरण (पुलिस थाना खोह व जनूथर में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस) को छोडकर) शेष क्षेत्राधिकार। 2. यातायात शाखा डीग/यातायात थाना डीग में दर्ज होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, डीग मुख्यालय पर स्थित पुलिस थाना डीग, सदर डीग से संबंधित M.V. Act

कामां मुख्यालय

क्र.स.	न्यायालय	क्षेत्राधिकार दिए जाने वाले पुलिस थाने का नाम
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट पहाडी (नवसृजित)	पुलिस थाना पहाडी से उत्पन्न होने वाले भा0द0स0/बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक एवं 138 एन आई एक्ट एवं राज. आबकारी अधिनियम के प्रकरण (पुलिस थाना पहाडी में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस) को छोडकर)शेष क्षेत्राधिकार
2.	एसीजेएम–1 कामां	1. पुलिस थाना कामां में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं. /बी.एन.एस. के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण एवं राज. आबकारी अधिनियम के प्रकरण 2. पुलिस थाना कामां, पहाडी, कैथवाडा (बुआपुर घडी, डाबक, वेग पहाडी, रसूलपुर और नांगल को छोडकर) में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले
3.	एसीजेएम–2 कामां	1 पुलिस थाना जुरहरा, गोपालगढ, में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं. /बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक एवं धारा 138 एनआई एक्ट एवं राज. आबकारी अधिनियम के प्रकरण 2. पुलिस थाना जुरहरा , गोपालगढ में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ,वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले
4	जेएम कामां	पुलिस थाना कैथवाडा में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं./ बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक एवं धारा 138 एनआई एक्ट के एवं आबकारी अधिनियम (पुलिस थाना कैथवाडा में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस को छोडकर) शेष क्षेत्राधिकार।

Scanned by CamScanner

नगर मुख्यालय

क्र.स.	न्यायालय	क्षेत्राधिकार दिए जाने वाले पुलिस थाने का नाम
1.	एसीजेएम सीकरी	1 पुलिस थाना सीकरी, में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं./बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण 2 आबकारी थाना सीकरी(पुलिस थाना सीकरी की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले प्रकरण) 2. पुलिस थाना सीकरी में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले
2.	एसीजेएम संख्या 01 नगर	1. पुलिस थाना नगर व पुलिस थाना जनूथर के गांव तरोडर, पथरोडा, मुढेरा, सुन्दरावली, रसिया, पूंछरी, रविदासपुरा, गंगावक के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण(आबकारी प्रकरणों को छोडकर) 2 पुलिस थाना नगर व पुलिस थाना कैथवाडा में आने वाले 05 गांव बुआपुर घडी, डाबक, वेग पहाडी, रसूलपुर और नांगल , में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले
3.	एसीजेएम संख्या 02 नगर	1. पुलिस थाना जालूकी, में उत्पन्न होने वाले सभी भा.द.सं./बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण (आबकारी प्रकरणों को छोडकर) 2 पुलिस थाना जालूकी में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले
4	जेएम नगर	पुलिस थाना कैथवाडा में आने वाले 05 गांव बुआपुर घडी, डाबक, वेग पहाडी, रसूलपुर और नांगल में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण (एसीजेएम संख्या 01 नगर को दिये गये उक्तांकित विशेषाधिकार के अलावा) 2 पुलिस थाना नगर , जालूकी, व कैथवाडा में आने वाले 05 गांव बुआ. पुर घडी, डाबक, वेग पहाडी, रसूलपुर और नांगल व पुलिस थाना जनूथर के गांव तरोडर, पथरोडा, मुढेरा, सुन्दरावली, रसिया, पूंछरी, रविदासपुरा, गंगावक में उत्पन्न होने वाले आवकारी के मामले। 3 **आबकारी थाना सीकरी** द्वारा पुलिस थाना नगर, जालूकी, व कैथवाडा में आने वाले 05 गांव बुआपुर घडी, डाबक, वेग पहाडी, रसूलपुर और नांगल व पुलिस थाना जनूथर के गांव तरोडर, पथरोडा, मुढेरा, सुन्दरावली, रसिया, पूंछरी, रविदासपुरा, गंगावक की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले प्रकरण

कुम्हेर मुख्यालय

क्र.स.	न्यायालय	क्षेत्राधिकार दिए जाने वाले पुलिस थाने का नाम
1.	एसीजेएम कुम्हेर	1 पुलिस थाना कुम्हेर, में उत्पन्न होने वाले भा.द.सं. /बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक एवं 138 एनआई एक्ट 2. थाना आबकारी कुम्हेर के आबकारी अधिनियम के प्रकरण 3. पुलिस थाना कुम्हेर के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्य जीव प्रतिरक्षण अधिनियम के मामले, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले; आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, धारा 420 (318 (4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (336 (3) बीएनएस), 471 (340 (2) बीएनएस के मामले

Scanned by CamScanner

दिनांक 30.06.2025 के पश्चात दर्ज एफआईआर व उनसे संबंधित आरोप–पत्र /एफआर आदि संबंधित थानाधिकारी द्वारा सीधे ही नवीन क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित की जावें। दिनांक 01.07.2025 से पेश होने वाले नतीजे सीधे ही नवीन क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मे पेश किये जावें। दिनांक 01.07.2025 से पूर्व दर्ज प्रकरणों में सुनवाई पूर्ववत जारी रहेगी, श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय डीग द्वारा उक्त दिनांक 01.07.2025 से पूर्व दर्ज प्रकरणों के संबंध में आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार आदेश पारित किया जावेगा।

Sd

(अनिता चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीग, जिला डीग (राज0)

कमांक/2025/45-94 दिनांक 30/6/25

प्रतिलिपी निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, डीग जिला डीग।
2 श्रीमान अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश डीग/नगर/कामां/कुम्हेर
3 श्रीमान जिला कलैक्टर, डीग।
4 श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक डीग।
5 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग/कुम्हेर/सीकरी/संख्या 01 नगर/संख्या 02 नगर/संख्या 01 कामां/संख्या 02 कामां
6 न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग/नगर/कामां/पहाडी
7 सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
8 अध्यक्ष बार संघ, डीग/कुम्हेर/नगर/कामां
9 अति0 पुलिस अधीक्षक डीग/कमां
10 उप पुलिस अधीक्षक डीग/नगर/कामां/पहाडी
11 थानाधिकारी कोतवाली डीग/ सदर डीग/ आबकारी डीग/ आबकारी वृत्त डीग/ महिला थाना डीग/ साईबर डीग/ यातायात शाखा डीग/यातायात थाना डीग/ कुम्हेर/ आबकारी कुम्हेर/ जनूथर/नगर/सीकरी/आबकारी सीकरी/ खोह/ कामां/पहाडी/कैथवाडा/जुरहरा/ गोपालगढ/जालूकी
12 आदेश/रक्षित पत्रावली

भवदीया,

30.6.25

(अनिता चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीग, जिला डीग (राज0)

Scanned by CamScanner